


राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर



एफ 12(12) ग्रावि / नरेगा / ज्ञापन / 2010 पार्ट-II

जयपुर, दिनांक :

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर,
समस्त राजस्थान

18 JUN 2015

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बाबत।

संदर्भ:- विभागीय पत्र क्रमांक एफ 12(12) ग्रावि / नरेगा / ज्ञापन / 2010 पार्ट-II दिनांक
01.12.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश जारी किये गये थे।

इस सम्बन्ध में पुनः सूचित किया जाता है कि योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिक किसी विशेष कारण यथा गम्भीर बीमारी, दुर्घटना या अन्य अपरिहार्य कारण से कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ है तथा उनके पास आकस्मिक अवकाश शेष नहीं है, तो उनके द्वारा अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर अवकाश का कारण संतोषजनक पाये जाने पर अधिकतम एक माह का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे। इस अवधि में उन्हें कोई मानदेय देय नहीं होगा।

किसी विशेष कारण यथा गम्भीर बीमारी, दुर्घटना या अन्य अपरिहार्य कारण से महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिक की एक माह से अधिक अवधि के अनुपस्थिति प्रकरण ही राज्य मुख्यालय पर भिजवाये जावें।

भवदीय

Roht
(रोहित कुमार)

आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक मा0 मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।

उ३
अति.आयुक्त (प्रथम), ईजीएस